समाहरणालय, कटिहार

गोपनीय प्रशाखा

कँवल तनुज, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार।
:- 06452–230581 (O)
06452–230583 (R)
फैक्स :- 06452–230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

आ दे श

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश संख्या–40–3/2020–DM-1(A) दिनांक–21.04.2020 द्वारा कतिपय अनिवार्य गतिविधियों के संबंध में आवश्यक निदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश के द्वारा अन्य बातों के अतिरिक्त छात्रों के लिए शैक्षणिक पुस्तकों एवं विद्युत पंखों की दुकानों के संचालन की भी अनुमति प्रदान की गई है। Lockdown की परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त आदेश के आलोक में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–282/अ.मु.स.को. दिनांक–23.04.2020 के द्वारा निदेश निर्गत किया गया है।

इस क्रम में समुचित नियंत्रण एवं सुरक्षात्मक उपायों के निर्धारण के उपरान्त ही उपर्युक्त प्रकार की दुकानों को खोले जाने संबंधी निदेश दिये जाते हैं,क्योंकि अनेक स्थानों पर उपरोक्त प्रकार की दुकानें एक–दूसरे के निकट बड़ी संख्या में स्थित हो सकती है, जिसके कारण भीड़–भाड़ हो सकती है।

अतः COVID-19 (कोरोना वायरस) के बढ़ते संक्रमण की रोक–थाम हेतु प्रभावी Lockdown की स्थिति में उपर्युक्त आदेश के आलोक में शैक्षणिक पुस्तकों एवं **Branded** विद्युत पंखों की दुकानों के संचालन के संबंध में निम्न निदेश दिये जाते हैं :–

1- एक दूसरे के निकट स्थित **Branded** विद्युत पंखों व शैक्षणिक पुस्तकों की दुकानों को खोलने हेतु अनुमति–पत्र (Pass) अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जायेगा।
2- उपर्युक्तानुसार अनुमति पत्र निर्गत करते समय अनुमण्डल पदाधिकारी एक दूसरे के निकट स्थित दुकानों को अलग–अलग समय यथा अपराह्न/पूर्वाह्न या अलग–अलग दिन अर्थात सम/विषम (Odd/Even) तिथियों को खोलने के विन्दु पर विचार करेंगे ताकि भीड़ नियंत्रण में रखी जा सके।
3- Social Distancing के अनुपालन हेतु संबंधित दुकानों के आगे सफेद पेंट से पर्याप्त दूरी बनाये रखते हुए गोलाकार आकृति बनवायी जाय ताकि पंक्तिबद्ध होकर तथा एक–दूसरे से दूरी बनाकर ही लोगों के द्वारा पुस्तकें/विद्युत पंखों का क्रय किया जा सके।
4- दुकानों पर अथवा बाजार में मास्क पहनना दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा तथा दुकानदार दस्ताना (Gloves) पहनकर अपना काम करेंगे एवं काउन्टर पर सेनिटाईजर भी अपने एवं ग्राहकों के प्रयोग हेतु उपलब्ध रखेंगे।
5- दुकानदार ग्राहकों की सुविधा के अनुसार टेलीफोन पर आर्डर लेने एवं पुस्तक/ विद्युत पंखा की होम डिलेवरी की व्यवस्था कर सकेंगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार/ बारसोई/ मनिहारी ऊपर वर्णित निदेशों का क्षेत्रान्तर्गत दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

24/4

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 1138 /सी०, कटिहार, दिनांक– 25.04. 2020

प्रतिलिपि– आयुक्त,पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ अग्रसारित।
प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक,कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त,कटिहार/नगर आयुक्त, नगर निगम,कटिहार/ अपर समाहर्त्ता,कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सभी कोषांग के वरीय/ नोडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार /बारसोई/मनिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2)

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनिहारी / बारसोई / थानाध्यक्ष / ओ0पी0अध्यक्ष,जिला–कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र,कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से आदेश की प्रति सभी थानाध्यक्ष / ओ0पी0अध्यक्ष को तामिल कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– आई0टी0प्रबंधक,कटिहार को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से संसूचित करने के साथ जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

1138
25.4.2020

D:\N.K.P-16\GOPNIYA_18.doc